

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

कमॉक सामान्य/II/ 01 /2021

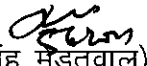
दिनांक...5/..6./2021

आदेश

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय, राज्य सरकार की अधिसूचना कमॉक प. 1(1) न्याय/2021 दिनांक 26.05.2021 द्वारा नवसृजित निम्नलिखित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को उनके सृजन की तिथि से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करता है एवं यह निर्देश देता है कि उनको उक्त संहिता के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियाँ होंगी:-

क्र. सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिले का नाम	बैठक का स्थान
1	अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, थानागाजी	अलवर	थानागाजी
2	अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुण्डावर	अलवर	मुण्डावर
3	अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2, छबड़ा	बारा	छबड़ा
4	अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खाजुवाला	बीकानेर	खाजुवाला
5	अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डौली	बून्दी	हिण्डौली
6	अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2, दौसा	दौसा	दौसा
7	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीबंगा	हनुमानगढ़	पीलीबंगा
8	अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रावतसर	हनुमानगढ़	रावतसर
9	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालेसर	जोधपुर जिला	बालेसर
10	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोगुन्दा	उदयपुर	गोगुन्दा

आदेशानुसार,


(निर्मलसिंह मेड़तवाल)

रजिस्ट्रार जनरल,
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर।

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

कमॉक - सामान्य/II/09/2021/1269

दिनांक ...5/6/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर।
2. समस्त रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
3. संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
4. संबंधित न्यायालय।
5. संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट।
6. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु।


रजिस्ट्रार जनरल